176

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 692—एक/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—02—2006 के द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 63/2004—05/निगरानी

.....

1— भारतसिंह पुत्र मोहरमन सिंह (मृत) द्वारा वारिसानः—
अ— मुन्नासिंह
ब— दौजीराम पुत्रगण स्व भारतसिंह
2— भँवरसिंह
3— बेतालसिंह
4— सत्यराम सिंह पुत्रगण मोहरमन सिंह
निवासीगण—ग्राम सौंसा, तहसील मजरा,
जिला—भिण्ड म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— इन्द्रपाल सिंह पुत्र पन्नालाल
निवासी—ग्राम सौंसा, तह0 मजरा, मल्लपुरा,
परगना—अटेर जिला—भिण्ड
2— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला भिण्ड

.....अनावेदकगण

.....

श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 17-10-16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 17—02—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व

संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण भारत सिंह आदि पुत्रगण मोहरमन सिंह निवासीगण ग्राम सौंसा तहसील अटेर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष ग्राम सौंसा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र0 1078 में बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि में सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर ने अपने प्र0क्र0 9/2001–02/अ–5 में दिनांक 07.10.2002 को सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन के मुताबिक बन्दोबस्त कि दौरा हुई त्रुटि को सुधार हेतु आदेश पारित किया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण इन्द्रपाल सिंह पुत्र पन्नालाल द्वारा कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील प्रसतुत की जो अपर कलेक्टर, भिण्ड की ओर अंतरित कर दी गई । अपर कलेक्टर, भिण्ड ने अपने प्र0क्र0 09/2002–03/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 02.07.2005 को अनावेदक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी, अटेर की ओर प्रत्यावर्तित कर दिया गया । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्र0क्र0 63/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई तथा अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया । अपर आयुक्त मुरैना के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि पुराने सर्वे क्र0 867 रकबा 0.078 है0 के आवेदकगण भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है । उक्त सर्वे नं0 का बन्दोबस्त के दौरान नवीन सर्वे नं0 1078 का निर्माण किया गया तथा उसपर आवेदकगण का नाम इन्द्राज न करते हुये भूलवश अनावेदक इन्द्रपाल सिंह का नाम अंकित कर दिया गया । उक्त सर्वे नं0 के साथ सहनम्बर 1079 व 1084 पर काल्पिन रूप से नाला अंकित कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर ने सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख से मौक पर स्थल की जांच कराई । सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा नये व पुराने नक्शों के मिलान करने पर यह पाया गया कि पुराने सर्वे 867 का नया 1078 सर्वे नं0 बनाया गया, जिसके आवेदकगण भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है और इन्द्रपाल सिंह का नाम सहवन भूलवश उक्त सर्वे नं. पर राजस्व कागजात में भी इन्द्राज कर दिया गया । जबकि उक्त आबादी के आस–पास कोई नाला नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी

अटेर द्वारा अनावेदक को विधिवत तलब किया गया। अनावेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दोनों पक्षों के कथन लेखबद्ध किये गये। तद्परांत ही आदेश पारित किया गया । अपर कलेक्टर भिण्ड द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अटेर के आदेश को निरस्त करने में भूल की है । उनका आलोच्य आदेश विधि–विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक क्रमांक –1 की ओर से अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित एवं अनावेदक क्रमांक –2 की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री बी0एन0 त्यागी उपस्थित । अभिभाषगण ने अपने तर्कों में कहा कि निगरानी आधारहीन है एवं अपर आयुक्त ने जो निर्णय दिया है वह विधिसम्मत निर्णय है । उनका कहना है कि निगरानी निरस्त की जाये।

5/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से यह पाया गया कि आवेदकगण भारत सिंह आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष ग्राम सौंसा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र0 1078 में बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटि में सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर ने अपने प्र0क्र0 9/2001–02/अ–5 में प्रकरण दर्ज कर सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख भिण्ड से मौके की जांच कर प्रतिवेदन बुलाया । सहायकत अधीक्षक भू–अभिलेख, भिण्ड ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्र0 868 के आवेदकगण भूमि सवामी थे और सर्वे क्र0 868 का नया सर्वे नम्बर 1078 बनाया गया, किन्तु सहवन भूलवश उक्त सर्वे नं0 पर इन्द्रपाल सिंह का नाम इन्द्राज कर दिया गया । इसी प्रकार सर्वे क्र0 1078, 1079 एवं 1084 की मेंड पर नक्शें में नाला दर्शाया गया जो मौके पर नहीं पाया गया । प्ररकण के अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख भिण्ड द्वारा विवादित भूमि के स्थल का निरीक्षण संबंध जानकारी अथवा कोई सूचना समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नहीं दी गई और अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख भिण्ड के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया । ऐसी स्थिति में जबकि अनावेदक को मौके पर अपना पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिये जाने की दशा में अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अटेर का आलोच्य आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । इसकी पुष्टि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.02.2006 से की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर कलेक्टर, भिण्ड का आलोच्य आदेश एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश विधिसंगत होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2005 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2006 स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर